नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला आपूर्ति शाखा)

1. जिले के विभिन्न लाभुकों के बीच राशन/ किरासन कूपनों का वितरण

जिला मुख्यालय को माह जून, 2010 से माह मई, 2011 हेतु प्राप्त राशन/किरासन कूपनों को संबंधित सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों व नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को हस्तगत कराया जा चुका है।

जिला स्तर से ही जिले के विभिन्न लाभुकों के बीच राशन/किरासन कूपनों का वितरण कराए जाने हेतु राशन/किरासन कूपन वितरण पंजी की छपाई की गई है, जिसमें लाभुक का नाम/पता/राशन कार्ड संख्या/देय कूपन संख्या व संबंधित उपभोक्ता द्वारा राशन अथवा किरासन किस जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ से उठाव किया जाएगा, का नाम अंकित किया गया है।

उल्लिखित राशन/किरासन कूपन वितरण पंजी की छपाई जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी की देख–रेख में कराई गई है साथ ही उक्त कूपन वितरण पंजी दस्तावेज के रूप में तीन जगह क्रमशः अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ऐसा होने से कूपन वितरण कार्य में पूर्व जो भी अनियमितताएँ हुआ करती थी, उसकी संभावना बहुत हद तक कम हो गई है।

कूपन वितरण कार्यों की समीक्षा विभिन्न स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा तथा जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे की जाती है। इस प्रक्रिया का सतत् अनुश्रवण प्रखण्ड स्तर, अनुमण्डल स्तर व जिला स्तर पर किया जा रहा है।

2. विभिन्न योजनान्तर्गत खाद्यान्नों के उठाव, बैंक ड्राफ्ट, भंडार निर्गमादेश निर्गमन व वितरण

जिले के सभी प्रखण्डों व नगर निकायों में कार्यरत पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों से हरेक माह की 12वीं तिथि को विभिन्न योजनान्तर्गत बैंक ड्राफ्ट लगाए जाने की सूचना प्राप्त की जाती है तथा बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाए जाने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है तथा इसी आधार पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा से भंडार निर्गमादेश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है तथा किसी भी परिस्थिति में भंडार निर्गमादेश निर्गत किए जाने में बिलंब हो जाने पर उन कारणों को ससमय दूर किया जाता है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लगाए जाने वाले बैंक ड्राफ्टों के विरूद्ध उठाव किए गए खाद्यान्नों का वितरण उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए राशन कूपनों के आधार पर नियमित रूप से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों/पणन पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की देख–रेख में कराए जाते हैं।

Sd/- 09/07/10

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
नालन्दा।